तारीख हुक्म

पत्रावली राजस्व लोक अदालत आयोजन
11.6.18 में अटल सेवा केन्द्र ग्रा. पं. [illegible]
खुर्द में पेश हुए। वकील वादीगण
उपस्थित। विपक्षीगण की रजिस्टर्ड
तामील दिनांक 8.2.2018 को जाकर
हुई थी और लोक अदालत नोटिस
की तामील किये गये। जो रजिस्टर्ड
समन / लोक अदालत समन तामील
होने से है। विपक्षीगण बावजूद
सूचना के हाजिर नहीं होने पर
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई
जाती है। वकील वादीगण की बहस
सुनी गई। वादीगण का आवेदन
स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश
पृथक से लिखवाया जाकर मिसल में
शामिल रखवाया गया और शामिल
मिसल किया गया।

पत्रावली जेरकार [illegible]
होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.195/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.रायमलराम पुत्र दीपाराम 2.देवाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी निम्बली (पांयला खुर्द) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.दुर्गाराम 2.सताराम 3.पाबुराम पिसरान हुकमाराम 4.पनाराम 5.अखाराम 6.जेठाराम पिसरान कुम्भाराम 7.नेनूदेवी पत्नि कुम्भाराम 8.ताजाराम 9.गंगाराम 10.केसाराम पिसरान भारमल 11.गोमाराम पुत्र बुधराराम 12.जेहाराम 13.मोतीराम 14.केहराराम पिसरान पुरखाराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी 15.गजेसिंह 16.राणसिंह पिसरान पीरसिंह 17.दगनकंवर पत्नि पीरसिंह जाति राजपूत निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी 18.खेराजराम पुत्र उदाराम 19.जोगाराम पुत्र उदाराम 20.पुरखाराम पुत्र उदाराम 21.गोरधनराम पुत्र उदाराम 22.तीजोदेवी पत्नि उदाराम जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी

23.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा तहसील सिणधरी की भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रजिस्टर्ड नोटिस तामीली श्रेणी में है एवं राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु भी सूचनार्थ नोटिस जारी किये गये। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,मौका फर्द दिनांक 18.4.17 एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा के प्रार्थीगण रिकार्डड सहखातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। एवं फर्द मौका रिर्पोट 18.4.17 में सेढे को लेकर पक्षकारान में विवाद है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 48 रकबा 117–06 बीधा भूमि के सबंध विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner